सहकारी समिति द्वारा मछली पालन

डॉ० नरेन्द्र कुमार वर्मा
सहायक प्राध्यापक
मात्स्यिकी महाविद्यालय
अर्राबारी, किशनगंज

परिचय-

सहकारिता की परिकल्पना कोई नई परिकल्पना नहीं है । यह उतना ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता । संयुक्त परिवार प्रणाली सहकारिता का एक अच्छा उदाहरण है जिसमें परिवार के सदस्य एक साथ कमाते हैं और एक साथ एक दूसरे पर खर्च भी करते हैं। सहकारी समिति स्वयं सहायता, लोकतंत्र, समानता, न्याय संगतता और एकजुटता जैसे मूल्यों पर काम करती है।

सहकारी' शब्द का अर्थ है- 'साथ मिलकर कार्य करना'। इससे आशय यह है कि, ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए एक साथ काम करने के इच्छुक हैं वे साथ आकर समिति बनाते है। इसे ही 'सहकारी समिति' कहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। यह स्वसहायता और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमे सभी सदस्य अपने-अपने संसाधनों को एकत्र कर उनका अधिकतम उपयोग कर लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वह आपस में बांट लेते हैं।

अन्य सहकारी समितियों की तरह मात्स्यिकी सहकारी समितियों का भी निर्माण मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। आज के इस औद्योगिक युग में जहां आर्थिक रुप से सम्पन्न लोग बड़े बड़े जहाज़ों, जालों तथा मशीनों का प्रयोग कर के तालाबों, नदियों और समुद्रों से अधिक से अधिक लाभ लेते है, वोही ऐसे मछुआरे भी है जिनके पास संसाधनों का अभाव है। ऐसे मछुवारों के लिए सहकारी समितियाँ एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।

भारत मे मात्स्यिकी सहकारी समिति की संरचना तीन स्तरीय होती है जिसमे गांव स्तर पर प्राथमिक सहकारी समिति, जिला स्तर पर जिला या छेत्रिय महासंघ और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सहकारी संघ होते है।मात्स्यिकी सहकारी समितियों का सही से संगठित ना होना, खराब प्रबंधन और अपर्याप्त परिचालन उनके असफल या निष्क्रिय होने के कुछ प्रमुख कारण है, वहि बहुत से ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते है जहां लोगों ने कुशल प्रबंधन एवं आपसी सहयोग से सहकारी समिति बनाया और उसके माध्यम से मात्स्यिकी के छेत्र में अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं तथा दुसरो को भी सहकारी समिति बनाने के लिए प्रेणना दे रहे हैं । मात्स्यिकी सहकारी समितियां निम्नलिखित प्रकार की होती है: 1. मात्स्यिकी वित्तीय सहकारी समिति, मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति, मछली उपभोक्ता सहकारी समिति, झींगा उत्पादक सहकारी समिति, मात्स्यिकी सहकारी विपणन समिति आदि।

भारत में प्रथम मात्स्यिकी सहकारी समिति "महाराष्ट्र" में सन 1913 में बनाई गई थी, जिसका नाम "कार्ला मच्छीमार समिति" था। इसके बाद सन 1918 में वेस्ट बंगाल तथा तमिलनाडु में भी मात्स्यिकी सहकारी समितियां बनाई गई। आज भारत मे कुल 31,78,239 मात्स्यिकी सहकारी समितियां कार्यरत है जिसमे कि 20,639 प्राथमिक स्तर पर, 141 जिला स्तर पर, 3 छेत्रिय स्तर पर और 21 राज्य स्तर पर है (NFFC,2020).

मात्स्यिकी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक नियम:

अन्य सहकारी समितियों की तरह मात्स्यिकी सहकारी समिति बनाने के लिए भी कुछ निर्देश होते है जिनको समिति बनाने के समय ध्यान में रखना चाहिए। ये नियम हैं-

1. किसी भी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए कम से कम 10 लोग या जो संख्या रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा बताई जाए की जरूरत होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बताई गई संख्या या सभी 10 लोग उस गांव या स्थान के अलग अलग परिवार से होने चाहिए।
2. समिति के पंजीकरण के समय उस समिति के नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है।
3. सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य सहकारी समिति के सिद्धान्तों पर चलते हुए उस समिति के लोगो के आर्थिक हितों को बढावा देना होना चाहिए।
4. वह समिति काम करने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ होनी चाहिए।
5. समिति के सदस्यों द्वारा उस समिति में एक न्यूनतम राशि (जिस पर सभी सदस्य सहमत हो) जमा करनी होती है, जिससे की समिति के काम को शुरू किया जा सके ।

मात्स्यिकी सहकारी समिति के पंजीकरण की प्रक्रिया:

सहकारी समिति के पंजीकरण का प्रपत्र सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो सहकारी समिति बनाने के इच्छुक हों, उन्हें सहकारी समिति का प्रपत्र पूरी तरह से भर कर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। प्रपत्र में उस सहकारी समिति का प्रस्तावित नाम, समिति के नियम, सहकारी समिति का प्रकार, सदस्यों की संख्या, और एक ऐसे व्यक्ति का नाम (समिति के सदस्यों में से कोई एक) और पता देना आवश्यक होता है जो उस सहकारी समिति के काम काज के देखभाल के लिए उत्तरदायी हो।

वह प्रपत्र कम से कम 10 सदस्यों या समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पंजीकरण से मना कर देता है तो उस स्थिती में सहायक रजिस्ट्रार को पंजीकरण ना करने के कारण के साथ ही प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर उस समिति को सूचित करना पड़ता है। यदि सहायक रजिस्ट्रार ऐसा नही करता है तो पंजीकरण प्रपत्र स्वतः ही पंजीकरण के लिए स्वीकृत मान लिया जाता है।

सहकारी समिति के लाभ

1. यह उत्पाद सस्ता बेचती है क्योंकि इसमें विज्ञापन पर कोई खर्च नही होता।
2. लेखा इत्यादि रखने तथा प्रबंधन के कार्यो का खर्च न्यूनतम होता है क्योंकि सदस्य अवैतनिक रूप से स्वयं ही काम करते है ।
3. बिचौलियों की भूमिका काफी कम हो जाति है जिससे लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता है।
4. इसमे लाभ का हिस्सा समान रूप से निश्चित दर से वितरित किया जाता है ।
5. सरकार से ऋण के रूप में अधिक राशि लेना संभव है।
6. मात्स्यिकी सहकारी समिति को सरकार की तरफ से कई योजनाओं के लाभ में मिलते है जो कि अन्य किसी मछली पालक को नहीं दिए जाते ।

सहकारि समिति बना कर मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि लोगो को इस माध्यम से मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें इससे होने वाले लाभ के बारे में सूचित किया जा सके। इस आधुनिक युग मे सहकारिता एक अच्छा विकल्प है जिसमे छोटे स्तर के किसान एक साथ मिल के खुद को विकसित कर सकते है और ऐसे व्यसाइयों को चुनौती दे सकते है जो कि साधन संपन्न है।